

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), वाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 14/2021 GCMS No 2021/32

दायरा तिथि : 17.02.2021

फैसला तिथि : 1-10-2021

प्रार्थी:-

खेतपालसिंह उर्फ खेतसिंह पुत्र केसाजी उर्फ केसूलालजी, जाति-राजपुरोहित,
निवासी-बोया, तह-वाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, वाली

उपस्थिति:-

1. श्री नारायणसिंह राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, वाली पैरोकार सरकार की ओर से

-: आदेश :-

दिनांक 1-10-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम बोया तहसील वाली में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नंबर 384, 388, 392, 397 कुल खसरा-04 कुल रकबा 1.06 हैक्टर एवं खसरा नंबर 451, 452, 453 कुल खसरा-03 कुल रकबा 6.1000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 480, 481, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 496, 497, 498, 499, 500, 843, 844, 845, 846, 847 कुल खसरा-19 रकबा 21.37 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम खेतसिंह पुत्र केसा को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम खेतपालसिंह पुत्र केसाजी उर्फ केसूलाल शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वतौर अभिलेखीय साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 283 की प्रति, वादग्रस्त भूमियों की जमाबंदी की प्रतियाँ, दी पाली सैन्ट्रल कॉ. ऑपरेटिव बैंक की पासबुक प्रति, यूनियन बैंक की पासबुक प्रति, पंजाब नेशनल बैंक खाते की पासबुक की प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, वाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, वाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमियों में त्रुटिपूर्ण नाम खेतसिंह पुत्र केसा दर्ज होना तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण संख्या 283 दर्ज करते समय होने से प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेजों एवं सरपंच ग्राम पंचायत बोया द्वारा जारी प्रमाण पत्र के प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम खेतपालसिंह पुत्र केसाजी उर्फ केसूलाल होना स्वीकार किया, तथा खाता संख्या 668 वर्तमान जमाबंदी में अपवादित खाता होने की रिपोर्ट पेश की गई। अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम खेतसिंह पुत्र केसा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम खेतपालसिंह पुत्र केसाजी उर्फ केसूलाल शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, वाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकूलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री नारायणसिंह राजपुरोहित ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम खेतपालसिंह पुत्र केसाजी उर्फ केसूलाल है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 283 की प्रति, वादग्रस्त भूमियों की जमाबंदी की प्रतियाँ, दी पाली सैन्ट्रल कॉ.ऑपरेटिव बैंक की पासबुक प्रति, यूनियन बैंक की पासबुक प्रति, पंजाब नेशनल बैंक खाते की पासबुक की प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति पेश कर दी है। नामान्तरकरण सं. 283 दर्ज करते समय प्रार्थी का त्रुटिपूर्ण नाम खेतसिंह पुत्र केसा दर्ज कर दिया है। तहसीलदार, वाली ने रिपोर्ट में खाता संख्या 668 को अपवादित बताया है, परन्तु प्रार्थी की इस्तदुआ मात्र नाम संशोधन तक ही है जिससे प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में भी नाम दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम बोया तहसील वाली में प्रार्थी के सह खातेदारी में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नंबर 384, 388, 392, 397 कुल खसरा-04 कुल रकबा 1.06 हैक्टर एवं खसरा नंबर 451, 452, 453 कुल खसरा-03 कुल रकबा 6.1000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 480, 481, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 496, 497, 498, 499, 500, 843, 844, 845, 846, 847 कुल खसरा-19 रकबा 21.37 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम खेतसिंह पुत्र केसा को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम खेतपालसिंह पुत्र केसाजी उर्फ केसूलाल शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, वाली व पटवारी हल्का, बोया को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



आदेश आज दिनांक 1-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्री अतुल प्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
भू अभिलेख अधिकारी
वाली, जिला-पाली (राज.)
(एस.डी.ओ.), वाली
भू अभिलेख अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
वाली, जिला-पाली (राज.)